छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 47 प्रकरण क्रमांक –**SM-EXP-2024-02187**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''देव नगर'', प्रमोटर–श्री हरीश अग्रवाल, पता–रामाधीन मार्ग, वार्ड नं.–25, जिला–राजनांदगांव (छ.ग)

प्रोजेक्ट–''देव नगर'' पता–गौरी नगर, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
28/02/2024	– प्रकरण प्रस्तुत। – भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा–5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट ''देव नगर'' पंजीयन क्रमांक–**PCGRERA080520001109** के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनाँक 08.05.2020 से पंजीकृत कराया गया है। उक्त प्रोजेक्ट की रेरा पंजीयन की वैधता दिनाँक 30.03.2023 को समाप्त हो चुकी है। प्रमोटर द्वारा उक्त प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3 अनुसार प्रोजेक्ट अवैध प्रोजेक्ट की श्रेणी में आ चुका है। उक्त कृत्य भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3 के उपबंधों का उल्लंघन है, जिसके लिये अधिनियम की धारा–59 के अधीन प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है। रजिस्ट्रार, छ.ग. द्वारा प्रतिवेदन दिनाँक 23.11.2023 के अनुसार यह पाया गया है कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों का अवहेलना व उल्लंघन करते हुये उक्त प्रोजेक्ट की वैधता समाप्त होने के बावजूद प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध दिनाँक 07.02.2024 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। – अनावेदक द्वारा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा पूर्व ही दिनाँक 21.11.2023 को छ.ग. रेरा में परियोजना के विस्तार के लिये आवेदन प्रस्तुत कर दिया है और अनावेदक द्वारा इस संबंध में छ.ग. रेरा से रूपये 15,428/– के बकाया भुगतान करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ है, जिसका भुगतान पूर्व ही किया जा चुका है। अनावेदक द्वारा सभी नियामक आवश्यकताओं का पालन करने और परियोजना को समय पर पूर्ण करने को सुनिश्चित करने के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अनावेदक द्वारा आवश्यक	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 47 प्रकरण क्रमांक –**SM-EXP-2024-02187**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''देव नगर'', प्रमोटर–श्री हरीश अग्रवाल, पता–रामाधीन मार्ग, वार्ड नं.–25, जिला–राजनांदगांव (छ.ग)

प्रोजेक्ट–''देव नगर'' पता–गौरी नगर, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	आवश्यकताओं और किसी भी लंबित मामले को संबोधित करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य किया जा रहा है। अनावेदक द्वारा अनुपालन प्रयासों के संबंध में किसी और जानकारी या दस्तावेज की आवश्यकता हो, तो कृपया अनावेदक से संपर्क करने में संकोच न करे। अनावेदक प्राधिकरण के साथ अपने व्यवहार में पूरी तरह से सहयोगात्मक और पारदर्शी रहते है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनावेदक द्वारा प्राधिकरण से प्रकरण को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है। – प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी अनुसार सितम्बर, 2023 तक प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट के विकास कार्य की पूर्णता की स्थिति 23 प्रतिशत है। प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट की वैधता दिनाँक 30.09.2022 को समाप्त हो गयी है। अनावेदक द्वारा अपने जवाब में प्रोजेक्ट के विस्तारण के लिये दिनाँक 21.11.2023 को प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। अनावेदक द्वारा बकाया राशि रूपये 15,428/– का भुगतान पूर्व में ही किया गया है। अनावेदक द्वारा सभी नियामक आवश्यकताओं का पालन करने और परियोजना को समय पर पूर्ण करने को सुनिश्चित करने के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही/– **(धनंजय देवांगन)** सदस्य सही/– **(संजय शुक्ला)** अध्यक्ष	